

परिशिष्ट - '31'

sanction pension and gratuity in accordance with the provisions shall be taken ²[x x x] by the Head of Office of the departmental sanctioned the deputation of the Government servant or sent him or

शासकीय बकाया

नियम 65. शासकीय बकाया की वसूली और समायोजन— (1) प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले सेवक का कर्तव्य होगा कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व सभी शासकीय बकाया चुकता

(2) जहाँ शासकीय सेवक शासकीय बकाया का चुकारा नहीं करता है और ऐसी बकाया अभिनिश्चित करने योग्य है, तो—

- (क) उस व्यक्ति से उसके समतुल्य नगद जमा प्राप्त कर ली जाय; अथवा
(ख) अभिनिश्चित शासकीय बकाया के कारण उसके बराबर वसूली योग्य धनराशि, उससे उसके नाम-निर्देशितों को अथवा उसके कानूनी वारिसों को भुगतान होने वाले उपदान से काट ली जावेगी।

स्पष्टीकरण— "अभिनिश्चित-शासकीय-बकाया" में शामिल है— भवन निर्माण अथवा वाहन अग्रिम की शासकीय आवास पर वास्तविक कब्जे से सम्बन्धित किराया और अन्य प्रभार का बकाया, वेतन और भुगतान-आधिक्य और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 48) के अधीन स्रोत पर कटौती-आय बकाया।

GOVERNMENT DUES

65. Recovery and adjustment of Government dues.— (1) It shall be the duty of every retiring Government servant to clear all Government dues before the date of his retirement.

(2) Where a retiring Government servant does not clear the Government dues before the date of his retirement, such dues are ascertainable:-

- (a) an equivalent cash deposit may be taken from him, or
(b) out of the gratuity payable to him, his nominee or legal heir, an amount

शब्द "आडिट आफिसर अथवा" वि.वि. क्र. एफ.बी. 6/1/77/नि-2/चार दिनांक 1-2-1977 द्वारा विलोपित।
Omitted by F.D. Notfn. No. F-B-6-1-77/R-II/IV, dated 1-2-1977.

D. D. D. D.
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल